



# उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

फैक्स : 0522.2231517

पत्रांक : 902 / 2042-0008 / 16

दिनांक : 22 / 06 / 2016

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(कानपुर/आगरा/वाराणसी क्षेत्र)

उ०प्र० जल निगम।

कानपुर/आगरा/वाराणसीद।

विषय:- वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के फलैक्सी मद के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु नये/रिबोर इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि के धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ० प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.16 को ग्रामीण पेयजल के संबंध में की गयी बैठक, के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं.-201/2042-0072/16 दिनांक 18.05.16 द्वारा कवरेज मद में सूखे के दृष्टिगत पेयजल के तात्कालिक समाधान हेतु स्वीकृत रिबोर इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्रेषित मांग के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं० 129/डब्लू-409(कवरेज)/2016 दिनांक 25.05.16 द्वारा फलैक्सी मद के अन्तर्गत रिबोर इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 800.00 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गयी है।

उक्त के क्रम के अवगत कराना है कि कुल अवमुक्त धनराशि रू० 800.00 लाख के सापेक्ष रू० 370.45 लाख की धनराशि पूर्व में क्षेत्रों को अवमुक्त की जा चुकी है। शेष धनराशि रू० 429.55 लाख प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-430/2313-0001/बजट /2016-17 दिनांक 18.06.16 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	कानपुर	128.75
2	आगरा	200.80
3	वाराणसी	100.00
	योग	429.55

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( चित्र कुमार त्यागी )  
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

प० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ० प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-408/2313-0001 /बजट/2016-17 दिनांक 13.06.16 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1)/अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Chongal 22.6.16  
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

प्रदेश में विगत 2 वर्ष में कम वर्षा के फलस्वरूप कुछ जनपदों में उत्पन्न हो रही सूखे की स्थिति के कारण पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु जनपदों में स्वीकृत नये/रिबोर इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्पों हेतु धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव

(रु० लाख में)

क्र० सं०	जनपद	रा० पे० रु० मि० के पत्र सं. -129/डबलू-409(कवरेज)/2016 दि० 25.05.16 द्वारा जल निगम को अवमुक्त धनराशि	जल निगम द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	अवशेष उपलब्ध धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर नगर	100.00	71.25	28.75	28.75
2	आगरा	200.00	101.40	98.60	98.60
3	मैनपुरी	100.00	97.80	2.20	2.20
4	प्रतापगढ़	100.00	100.00	0.00	0.00
5	फिरोजाबाद	100.00	0.00	100.00	100.00
6	कानपुर देहात	100.00	0.00	100.00	100.00
7	आजमगढ़	100.00	0.00	100.00	100.00
	योग	800.00	370.45	429.55	429.55

*(Signature)*

*(Signature)*